



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937

No. 1048]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015 /VAISAKHA 29, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2015

का.आ.1329(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखण्ड राज्य के राँची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. तक के भूखण्ड (राँची-रड़गांव सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, राँची को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

				1754	निजी	दोन- II	0.008	80.938
				1755	निजी	दोन- II	0.016	161.877
				1771	निजी	टांड- II	0.069	687.980
				1772	निजी	टांड- II	0.032	323.755
				1773	निजी	टांड- II	0.036	364.225
				1775	निजी	दोन- III	0.049	485.633
				1776	निजी	टांड- II	0.073	728.450
				1777	निजी	टांड- III	0.016	161.877
				1778	निजी	दोन- III	0.020	202.347
				1779	निजी	दोन- III	0.081	809.388
				1780	निजी	दोन- III	0.008	80.938
				1781	निजी	दोन- III	0.024	242.816
				1784	निजी	दोन- III	0.024	242.816
				1785	निजी	दोन- III	0.040	404.694
				1790	निजी	टांड- II	0.036	364.225
				1791	निजी	टांड- II	0.012	121.408
				1792	निजी	टांड- II	0.016	161.877
				2314	निजी	टांड- I	0.024	242.816
				2315	निजी	परती कदीम	0.008	80.938
				2316	निजी	टांड- II	0.053	526.102
				2317	निजी	टांड- I	0.008	80.938
				2326	निजी	टांड- II	0.012	121.408
				2327	निजी	टांड- II	0.028	283.286
				2328	निजी	टांड- III	0.024	242.816
				2331	निजी	दोन- III	0.008	80.938
						कुल	1.599	15985.43
		(2) बुन्दु	(1) गोसाँईडिह	7	निजी	परती रैयती	0.051	505.868
				10	निजी	परती रैयती	0.016	161.877
				28	निजी	टांड- I	0.023	232.699
				29	निजी	टांड- I	0.002	20.234
				155	निजी	टांड- II	0.061	607.041
						कुल	0.153	1527.72
			(2) बुन्दू	4741	निजी	टांड- II	0.001	10.117
				4744	निजी	दोन- II	0.018	182.112
				4757	निजी	दोन- III	0.040	404.694
				4758	निजी	दोन- III	0.040	404.694
				4759	निजी	दोन- III	0.016	161.877
				4771	निजी	टांड- II	0.053	526.102
				4772	निजी	टांड- II	0.024	242.816
				4773	निजी	टांड- II	0.036	364.225
				4774	निजी	टांड- II	0.032	323.755
						कुल	0.262	2620.39
			(3) एदलहातु	1041	निजी	दोन- III	0.008	80.938
				1043	निजी	टांड- III	0.024	242.816
				1047	निजी	टांड- III	0.012	121.408
				1050	निजी	गै० खास	0.012	121.408
				1234	निजी	गै० खास	0.006	60.704
				1237	निजी	टांड- I	0.004	40.469
				1240	निजी	टांड- I	0.004	40.469
				1241	निजी	टांड- I	0.002	20.234